

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द जिला राजसमन्द  
मुकदमा नम्बर 91 / 2023 अनवान नाबी... बनाम ...

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर
13/5/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रार्थी गण के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रकरण में आदेशिका पर Not Press /हिदायत पैरवी नही होना अंकित किया। वादी/प्रार्थी गण अनुपस्थित। वादी/प्रार्थी गण को रूक-रूक कर कई बार आवाजे दिलवाई गई, फिर भी वादी/प्रार्थी गण में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय समय समाप्त होने तक वादी/प्रार्थी गण कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी/प्रार्थी गण का प्रतिवादी/विपक्षी गण से कोई समझौता हो गया है। जिससे वादी/प्रार्थी गण अब प्रकरण मे कोई कार्यवाही नही चाहते है अथवा वादी/प्रार्थी गण अपने वाद/प्रार्थना पत्र के प्रति गम्भीर नही है।</p> <p>अतः वादी/प्रार्थी गण के प्रकरण मे पैरवी हेतु अनुपस्थित रहने एवं अधिवक्ता वादी/प्रार्थी द्वारा Not Press/ हिदायत पैरवी नही होना अंकित कर दिये जाने से प्रकरण इसी स्तर पर अदम हाजरी/अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कमी हो, बाद दाखिला बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">M (बृजेश गुप्ता R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद</p>	